Rule 45: Conditions and restrictions in respect of inputs and capital goods sent to the job worker

(1) The inputs, semi-finished goods or capital goods shall be sent to the job worker under the cover of a challan issued by the principal, including where such goods are sent directly to a job-worker ¹[, and where the goods are sent from one job worker to another job worker, the challan may be issued either by the principal or the job worker sending the goods to another job worker:

Provided that the challan issued by the principal may be endorsed by the job worker, indicating therein the quantity and description of goods where the goods are sent by one job worker to another or are returned to the principal:

Provided further that the challan endorsed by the job worker may be further endorsed by another job worker, indicating therein the quantity and description of goods where the goods are sent by one job worker to another or are returned to the principal.]

- (2) The challan issued by the principal to the job worker shall contain the details specified in rule 55.
- (3) The details of challans in respect of goods dispatched to a job worker or received from a job worker ²[******] ³[during a specified period] shall be included in **FORM GSTR ITC-04** furnished for that period on or before the twenty-fifth day of the month succeeding ⁴[the said period] ⁵[or within such further period as may be extended by the Commissioner by a notification in this behalf:

Provided that any extension of the time limit notified by the Commissioner of State tax or the Commissioner of Union territory tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.]

⁶[Explanation-For the purposes of this sub-rule, the expression "specified period" shall mean-

(a) the period of six consecutive months commencing on the 1st day of April and the 1st day of October in respect of a principal whose aggregate turnover during the immediately preceding financial year exceeds five crore rupees; and

¹ Inserted by Noti. No. 14/2018–Central Tax, dt. 23-03-2018 w.e.f. 23-03-2018.

² Omitted the words "or sent from one job worker to another" by Noti. No. 74/2018–Central Tax, dt. 31-12-2018 w.e.f. 31-12-2018.

³ Substituted for "during a quarter" by Noti. No. 35/2021–Central Tax, dt. 24-09-2021 w.e.f. 01-10-2021.

⁴ Substituted for "the said quarter" by Noti. No. 35/2021–Central Tax, dt. 24-09-2021 w.e.f. 01-10-2021.

⁵ Inserted by Noti. No. 51/2017–Central Tax, dt. 28-10-2017 w.e.f. 28-10-2017.

⁶ Explanation inserted by Noti. No. 35/2021–Central Tax, dt. 24-09-2021 w.e.f. 01-10-2021.

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

- **(b)** a financial year in any other case.]
- (4) Where the inputs or capital goods are not returned to the principal within the time stipulated in section 143, it shall be deemed that such inputs or capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said inputs or capital goods were sent out and the said supply shall be declared in **FORM GSTR-1** and the principal shall be liable to pay the tax along with applicable interest.

Explanation:- For the purposes of this Chapter,-

- (1) the expressions "capital goods" shall include "plant and machinery" as defined in the Explanation to section 17;
- (2) for determining the value of an exempt supply as referred to in sub-section (3) of section 17-
 - (a) the value of land and building shall be taken as the same as adopted for the purpose of paying stamp duty; and
 - **(b)** the value of security shall be taken as one per cent. of the sale value of such security.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 45: छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए इनपुटों और पूंजी माल के संबंध में शर्तें और निर्बंधन

(1) इनपुटों, अर्ध परिरूपित माल या पूंजी माल, छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को प्रधान द्वारा जारी चालान के साथ भेजा जाएगा, जिसके अन्तर्गत ऐसी स्थिति भी है, जहां ऐसे माल किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को सीधे भेजा जाता है ¹[और जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से किसी दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है, वहां चालान, प्रधान या माल को किसी अन्य छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजने वाले छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजने वाले छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी किया जा सकेगा:

परन्तु प्रधान द्वारा जारी चालान को, उस दषा में, जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है या प्रधान को वापस भेजा जाता है, उसमें माल की मात्रा और विवरण उपदर्शित करते हुए पृष्ठांकित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा पृष्ठांकित चालान को, जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है या प्रधान को वापस भेजा जाता है, उसमें माल की मात्रा और विवरण उपदर्शित करते हुए पृष्ठांकित किया जाएगा]

- (2) छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा जारी चालान में नियम 55 में विनिर्दिष्ट ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।
- (3) ²[विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान] किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए माल या छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से प्राप्त माल ³[......] के संबंध में चालानों के ब्यौरों को ⁴[उक्त अवधि से] उत्तरवर्ती मास के पच्चीसवें दिन पर ⁵[या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विस्तारित की जाए] या पहले की अवधि के लिए दिए गए **प्ररूप जीएसटी आईटीसी–1** में सम्मिलत किया जाएगा:

परन्तु राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय—सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा;

ं[स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, ''विनिर्दिष्ट अवधि'' पद का अर्थ-,

¹ अधिसूचना क्रमांक 14/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2018)।

² अधिसूचना क्रमांक 35/2021—केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा ''तिमाही के दौरान'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2021)।

³ अधिसूचना क्रमांक 74/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा शब्द "या एक छुटपुट काम करने वाले से दूसरे को भेजा गया" (sic या किसी छुटपुट कर्मकार किसी अन्य को भेजे गए) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)।

⁴ अधिसूचना क्रमांक 35/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा "तिमाही से" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2021)।

⁵ अधिसूचना क्रमांक 51/2017—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.10.2017 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.10.2017)।

⁶ अधिसूचना क्रमांक 35/2021—केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा स्पष्टीकरण अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2021)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (क) किसी मालिक के संबंध में, जिसका ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए से अधिक है, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को प्रारम्भ होने वाले छह क्रमवर्ती मासों की अवधि होगा ; और
- (ख) किसी अन्य मामले में वित्तीय वर्ष होगा।
- (4) जहां प्रधान को, धारा 143 में नियत समय के भीतर इनपुट या पूंजी माल वापस नहीं किया जाता है, यह समझा जाएगा कि ऐसे इनपुट या पूंजीमाल प्रधान द्वारा छुटपुट कर्मकार को, उस दिन पर जब उक्त इनपुट और पूंजीमाल भेजे गए, प्रदायित किए गये थे और उक्त प्रदाय प्ररूप जीएसटीआर—01 में घोषित् किया जाएगा और प्रधान कर के साथ लागू ब्याज के संदेय के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,-

- (1) ''पूंजी माल'' पद के अंतर्गत धारा 17 के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित ''संयंत्र और मशीनरी'' भी है:
- (2) धारा 17 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट छूट प्राप्त प्रदाय के मूल्य के अवधारण के लिए,-
 - (क) भूमि और भवन के मूल्य को उसी रूप में लिया जाएगा, जैसे स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए अंगीकार किया गया है; और
 - (ख) प्रतिभूति के मूल्य को, ऐसी प्रतिभूति के विक्रय मूल्य के एक प्रतिशत के रूप में लिया जाएगा।